

कानूनी प्रावधानों पर विवरणिका

यह विवरणिका भारत के संविधान, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए, 2019) द्वारा संशोधित नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है।

पृष्ठभूमि

- संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित हैं।
 - संविधान का अनुच्छेद 5 से 9 यह निर्धारित करता है कि संविधान के लागू होते समय भारतीय नागरिक कौन थे।
 - अनुच्छेद 10 संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में बने रहने का प्रावधान करता है।
 - अनुच्छेद 11 संसद को कानून द्वारा नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है जो कहता है, "इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के प्राप्ति और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।"
- नागरिकता, संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सूची-1 (संघ सूची) में प्रविष्टि क्रमांक 17 पर अंकित विषय है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 246(1) के तहत, संसद देश की नागरिकता कानून बनाने/संशोधन हेतु सक्षम है। इसलिए, नागरिकता अधिनियम, 1955 एक सक्षम विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 निम्न तरीकों से भारतीय नागरिकता प्रदान करता है: -
 - जन्म से [धारा 3]
 - वंशानुक्रम से [धारा 4]
 - पंजीकरण द्वारा [धारा 5]
 - देशीयकरण द्वारा [धारा 6]
 - भू भाग के समावेशन द्वारा [धारा 7]

नागरिकता अधिनियम, 1955 भारतीय नागरिकता का त्याग [धारा 8], भारतीय नागरिकता की समाप्ति [धारा 9] और भारतीय नागरिकता से वंचित करने [धारा 10] का भी प्रावधान करता है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए)

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए), 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ।
- इसका उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे, और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के तहत या विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के लागू होने से छूट दी गई थी।

3. उपरोक्त 3 देशों के उपरोक्त 6 समुदायों से संबंधित प्रवासी, जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा करते हैं, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सीए, 2019 के माध्यम से किए गए संशोधन

1. धारा 2 में संशोधन - नागरिकता अधिनियम, 1955 में, धारा 2 में, उप-धारा (1) में, खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया गया है:- "परंतु अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिन्दू सिख, बौद्ध जैन पारसी या ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्ति को, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रविष्ट हुआ और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा या उसके अधीन अथवा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गई है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा;" ।

2. नई धारा 6 ख का सम्मिलन- मूल अधिनियम की धारा 6 ए के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ी गई है: -

"6 ख. (1) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, ऐसी शर्तों, निर्बंधनों और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं. इस निमित्त किए गए आवेदन पर, धारा 2 की उपधारा (1) खंड (ख) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को पंजीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा ।

(2) धारा 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने या तृतीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन देशीयकरण की अर्हताओं के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति को, जिसे उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, उसके भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा।

(3) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से ही इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवैध प्रव्रजन या नागरिकता के संबंध में लंबित किसी भी कार्यवाही का, उसे नागरिकता प्रदत्त किए जाने पर उपशमन हो जाएगा ;

परंतु ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए इस आधार पर निरहित नहीं होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही लंबित है और केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकार नहीं करेगा, यदि वह अन्यथा इस धारा के अधीन नागरिकता अनुदत्त किए जाने के लिए अर्हति पाया जाता है:

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस धारा के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन किया है, ऐसा आवेदन करने के आधार पर, उसके ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, जिनके लिए वह उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख को हकदार था।

(4) इस धारा की कोई बात, संविधान की छठी अनुसूची में यथा सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873 के अधीन अधिसूचित "आंतरिक रेखा" के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को लागू नहीं होगी।'

नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन

सीएए, 2019 के अनुसरण में, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन किया गया है। किये गये संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 ख के साथ पठित नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक के अंतर्गत कवर किए गए आवेदकों को समर्थ बनाने के लिए संगत नियमों, प्रक्रियाओं और प्रपत्रों का प्रावधान करने के लिए किया गया है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान करना

धारा 6बी के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

1. कहां आवेदन करें?

सीएए के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को आवेदन नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ख के तहत करना होगा। यह आवेदन ऑनलाइन <https://indiancitizenshiponline.nic.in> और मोबाइल एप्लिकेशन **CAA-2019** पर उपलब्ध है।

2. कौन आवेदन कर सकता है?

अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्ति -

- जिन्होंने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया; और
- जिसे पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3(2)(ग) के तहत या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के आवेदन से छूट दी गई है।

3. प्रपत्र

ऑनलाइन सिस्टम आवेदक द्वारा शुरूआती सरल प्रश्नों के उत्तर देने पर, नीचे बताए गए फार्म में से किसी एक प्रासंगिक फार्म को भरने के लिए इंगित करेगा: -

क्र.सं.	फॉर्म संख्या	नागरिकता अधिनियम, 1955 की प्रासंगिक धारा	पात्र व्यक्तियों की श्रेणी
1	IIA	धारा 5(1)(क)	भारतीय मूल का व्यक्ति

2	IIIA	धारा 5(1)(ग)	व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाह किया है
3	IVA	धारा 5(1)(घ)	भारत के नागरिक का नाबालिग बच्चा
4	VA	धारा 5(1)(ड.)	व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं
5	VIA	धारा 5(1)(च)	व्यक्ति स्वयं जो या उसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था
6	VIIA	धारा 5(1)(छ)	व्यक्ति जो प्रवासी भारतीय कार्डधारक (OCI Cardholder) के रूप में पंजीकृत है,
7	VIIIA	धारा 6(1)	देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए

4. शुल्क/पावती/प्रमाणपत्र

आवेदक संबंधित फॉर्म भर सकता है, फॉर्म में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर सकता है और 50/- रुपये के शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। आवेदन जमा करने पर, एक पावती इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाएगी जो आवेदक को उपलब्ध होगी। आवेदन चरण में ही, आवेदक पंजीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है। प्रमाणपत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति आवेदक को तभी जारी की जाएगी जब उसने आवेदन चरण में इसका विकल्प चुना हो।

5. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

- i. धारा 6 बी के तहत आवेदन ऑनलाइन भरना होता है।
- ii. आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। हालांकि, शपथ और दस्तावेज जांच के प्रशासन के लिए, आवेदक को बाद में जिला स्तर के नामित अधिकारी (डीओ) के पास जाना होगा।
- iii. आवेदक के ऑनलाइन आवेदन जमा करने के उपरान्त, आवेदन की समीक्षा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी। जिसके उपरान्त जिला स्तरीय समिति आवेदक को ईमेल/SMS द्वारा वह तारीख या समय सूचित करेगी जहां वह जिला स्तरीय समिति के समक्ष उक्त तिथि और समय पर होकर मूल के साथ दस्तावेजों की जांच/सत्यापन के लिए स्वयं उपस्थित होगा।
- iv. जिला स्तर पर एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसका प्रमुख संबंधित क्षेत्राधिकार वाला वरिष्ठ डाक अधीक्षक या अधीक्षक होगा, जो नामनिर्दिष्ट अधिकारी होगा और वह सदस्यों के रूप में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-
 - (क) संबंधित जिले का जिला सूचना अधिकारी या जिला सूचना सहायक; और
 - (ख) केंद्र सरकार का मनोनीत अधिकारी;
 निम्नलिखित अधिकारी जिला स्तरीय समिति के आमंत्रिती होंगे, अर्थात् :-
 - (क) जिला कलेक्टर के कार्यालय से नायब तहसीलदार या समतुल्य से अन्यून रैंक का एक प्रतिनिधि; और
 - (ख) संबंधित क्षेत्राधिकार वाला स्टेशन मास्टर, रेलवे (उपलब्धता के अधीन रहते हुए);

- v. एसएमएस प्राप्त करने के बाद, आवेदक आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के मूल दस्तावेजों के साथ नामित अधिकारी (डी.ओ.) के कार्यालय जाना होगा ।
- vi. डीएलसी दस्तावेजों की जांच/सत्यापन करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो नामित अधिकारी आवेदक को "निष्ठा की शपथ" दिलायेगा, जिसने पंजीकरण (धारा 5) या धारा 6B के तहत देशीयकरण (धारा 6) द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन किया है।
- vii. पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन के मामले में "निष्ठा की शपथ" केवल तभी दी जाएगी जब यह पुष्टि हो जाएगी कि आवेदक द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं।
- viii. यदि दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है तो, जिला स्तरीय समिति आवेदक को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कह सकती है। यदि आवेदक आवेदन उचित अवसर देने के बावजूद निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो डीएलसी ऐसे आवेदन को अस्वीकृत करने के विचारार्थ इसी को अग्रेषित कर सकती है ।

6. नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया

- i. प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
- ii. आवेदक जिसने पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन किया है, को एक डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- iii. पंजीकरण या देशीयकरण के प्रमाण पत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति केवल तभी जारी की जाएगी जब आवेदक ने आवेदन चरण में इसका विकल्प चुना हो और इसे आवेदक को अधिकार प्राप्त समिति के कार्यालय से प्राप्त करना होगा यानी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी में स्थित निदेशक(जनगणना संचालन) के कार्यालय से ।
- iv. अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जनगणना कार्य निदेशक (डीसीओ) द्वारा की जाती है। अधिकार प्राप्त समिति के अन्य सदस्य हैं:
 - क) अधीनस्थ खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) में भारत सरकार के उप सचिव या उस रैंक से ऊपर का अधिकारी;
 - ख) संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ);
 - ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एसआईओ); और
 - घ) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल (पीएमजी) या पीएमजी द्वारा नामित भारत सरकार के उप सचिव के पद या उससे ऊपर का डाक अधिकारी।

निम्नलिखित अधिकारी सशक्त समिति के आमंत्रिती होंगी, अर्थात् :--

- क) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रधान सचिव (गृह) या अपर मुख्य सचिव (गृह) के कार्यालय से एक प्रतिनिधि ; और
- (ख) क्षेत्राधिकार वाले प्रभागीय रेल प्रबंधक, रेलवे का एक प्रतिनिधि;

7. तारीख जब से नागरिकता प्रभावी होगी

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के तहत पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान किए गए व्यक्तियों को भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा।

8. नागरिकता अधिनियम की धारा 6बी के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

- क) यह साबित करने के लिए कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की एक प्रति: -
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति
 - भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट
 - अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
 - अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र
 - अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज
 - अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र
 - अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड
 - कोई भी दस्तावेज जो दर्शाता है कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई एक, तीन देशों अर्थात् अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक है या रहा है
 - अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है

नोट: उपरोक्त दस्तावेज उनकी वैधता अवधि के बाद भी स्वीकार्य होंगे।

- ख) यह साबित करने के लिए कि आवेदक ने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की एक प्रति:-
- भारत आगमन पर वीजा और आब्रजन टिकट की प्रति
 - विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या भारत में विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट।

- iii. जनगणना संबंधित सर्वेक्षण करते समय भारत में जनगणना प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जारी की जाने वाली पर्ची
- iv. भारत में सरकार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या परमिट (चालक अनुज्ञप्ति सहित, आधार कार्ड आदि)
- v. आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड
- vi. सरकार या न्यायालय द्वारा शासकीय स्टाम्प के साथ आवेदक को जारी किया गया कोई पत्र ।
- vii. भारत में जारी आवेदक का जन्म प्रमाणपत्र ।
- viii. आवेदक के नाम पर भारत में भूमि या किराएदारी अभिलेख या रजिस्टर किराया करार ।
- ix. जारी करने की तारीख के साथ पैन कार्ड जारी करने वाला दस्तावेज ।
- x. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी अन्य वित्तीय संस्था जैसे बैंक या किसी अन्य लोक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज ।
- xi. किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र ।
- xii. आवेदक के नाम पर बैंकों (प्राइवेट बैंकों सहित) या डाकघर खातों से संबंधित और उनके द्वारा जारी अभिलेख और खाता ब्यौरे ।
- xiii. आवेदक के नाम पर भारत में बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां ।
- xiv. आवेदक के नाम पर विद्युत संयोजन कागजात या विद्युत बिल या अन्य उपयोगिता बिल।
- xv. आवेदक के संबंध में न्यायालय या अधिकरण अभिलेख या आदेशिकाएं ।
- xvi. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)/साधारण भविष्य निधि/पेंशन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) दस्तावेजों द्वारा समर्थित भारत में किसी नियोजक के अधीन सेवा या नियोजन दर्शित करने वाला दस्तावेज ।
- xvii. भारत में जारी आवेदक का विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र ।
- xviii. विद्यालय या महाविद्यालय या बोर्ड या विश्वविद्यालय अथवा शासकीय संस्था द्वारा जारी किया गया अकादमिक प्रमाणपत्र ।
- xix. आवेदक को जारी किया गया नगरपालिका व्यापार लाइसेंस ।
- xx. विवाह प्रमाणपत्र ।

नोट: (i) उपरोक्त दस्तावेज़ किसी भारतीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए होने चाहिए और यह उनकी वैधता अवधि के बाद भी स्वीकार्य होंगे

(ii) दस्तावेजों को यह सत्यापित करना चाहिए कि आवेदक ने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था

- ग) आवेदक को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा (नागरिकता नियम, 2009 के नियम 10ए और अनुसूची IC देखें) जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ दिलाई जानी चाहिए। [दस रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर निष्पादित]।
- घ) वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो तो ।
- ड) वैध या समाप्त हो चुके आवासीय परमिट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो तो ।

इसके अलावा, जिन श्रेणियों के तहत आवेदन जमा किया जा रहा है, उनके आधार पर निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना आवश्यक है:

क्रम संख्या	वर्ग	नागरिकता अधिनियम, 1955 की प्रासंगिक धारा	अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होंगे
1	भारतीय मूल का एक व्यक्ति फॉर्म IIA में भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा	धारा 5(1)(क)	माता-पिता की जन्म तिथि का प्रमाण। पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति। माता/पिता के पासपोर्ट की अनुपलब्धता के मामले में, आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से माता/पिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता दर्शाता है।
2	एक व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से विवाह किया है, फॉर्म IIIA में भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा	धारा 5(1)(ग)	(i) उसके पति/पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण। भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति। (ii) विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति।
3	एक व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति का नाबालिग बच्चा है जो भारत का नागरिक है, फॉर्म IVA में भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा	धारा 5(1)(घ)	(i) माता-पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का प्रमाण। भारतीय पासपोर्ट/जन्म प्रमाण पत्र की प्रति। (ii) अभिभावक के मामले में, संरक्षकता का प्रमाण संलग्न करें
4	एक व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, फॉर्म VA में भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा	धारा 5(1)(ड)	माता-पिता दोनों के नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(ए) या 6(1) के तहत जारी भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र की प्रतियां।
5	व्यक्ति जो खुद या उसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था, फॉर्म VIA में भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा	धारा 5(1)(च)	साक्ष्य कि आवेदक या उसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था। पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति।

6	एक व्यक्ति जो OCI कार्डधारक (OCI) के रूप में पंजीकृत है, फॉर्म VIIA में भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा	धारा 5(1)(छ)	नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ए के तहत भारत के OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति
7	देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति	धारा 6(1)	स्वयं (आवेदक) से एक हलफनामा और एक भारतीय नागरिक से एक हलफनामा जो आवेदन पत्र में उपलब्ध निर्धारित भाषा में आवेदक के चरित्र की गवाही देता है।

Brochure on Legal Provisions

This brochure provides at a glance, the provisions related to Citizenship of India stipulated under the Constitution of India, the Citizenship Act, 1955 as amended by the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA,2019) and rules thereunder.

Background

1. Article 5 to 11 of the Constitution are related to Citizenship of India.
 - a. Article 5 to 9 of the Constitution determines who were the Indian Citizens at the commencement of the Constitution.
 - b. Article 10 provides for the continuance as Indian citizens, subject to law made by the parliament.
 - c. Article 11 provides Parliament the right to regulate the Citizenship by law which says, “nothing in the foregoing provisions of this part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of Citizenship and all other matter relating to Citizenship”.
2. Citizenship is a part of the entry no. 17 in list-I (Union List) under the Seventh Schedule of the Constitution and under Article 246(1) read with Article 11 of the Constitution of India, the Parliament has the legislative competence to frame citizenship laws for the country. Therefore, the Citizenship Act, 1955 has been enacted by a Competent Legislature.
3. Citizenship Act, 1955 provides Indian Citizenship by
 - a. Birth [Section 3]
 - b. Descent [Section 4]
 - c. Registration [Section 5]
 - d. Naturalisation [Section 6]
 - e. Incorporation of Territory [Section 7]

Citizenship Act, 1955 also provides Renunciation of Indian Citizenship [Section 8], Termination of Indian Citizenship [Section 9] and Deprivation of Indian Citizenship [Section 10].

The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA)

1. The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA) was notified on 12th December, 2019 and came into force on 10th January, 2020.
2. It aims to facilitate grant of Indian Citizenship to migrants belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who had come to India on or before 31st December 2014 and who had been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made there under.
3. The migrants belonging to aforesaid 6 communities from aforesaid 3 nations, who fulfil above criteria, may apply for Indian Citizenship.

Amendments made vide CAA, 2019

- 1. Amendment in Section 2.**-In the Citizenship Act, 1955, in section 2, in sub-section (1), in clause (b), the following proviso has been inserted:— *"Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act;"*.

- 2. Insertion of new section 6B.**-After section 6A of the Principal Act, the following section has been inserted: —

"6B.

(1) The Central Government or an authority specified by it in this behalf may, subject to such conditions, restriction and manner as may be prescribed, on an application made in this behalf, grant a certificate of registration or certificate of naturalisation to a person referred to in the proviso to clause (b) of sub-section (1) of section 2.

(2) Subject to fulfilment of the conditions specified in section 5 or the qualifications for naturalisation under the provisions of the Third Schedule, a person granted the certificate of registration or certificate of naturalisation under sub-section (1) shall be deemed to be a citizen of India from the date of his entry into India.

(3) On and from the date of commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2019, any proceeding pending against a person under this section in respect of illegal migration or citizenship shall stand abated on conferment of citizenship to him: Provided that such person shall not be disqualified for making application for citizenship under this section on the ground that the proceeding is pending against him and the Central Government or authority specified by it in this behalf shall not reject his application on that ground if he is otherwise found qualified for grant of citizenship under this section: Provided further that the person who makes the application for citizenship under this section shall not be deprived of his rights and privileges to which he was entitled on the date of receipt of his application on the ground of making such application.

(4) Nothing in this section shall apply to tribal area of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura as included in the Sixth Schedule to the Constitution and the area covered under "The Inner Line" notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873."

- 3. Amendment in Third Schedule.**- In the Third Schedule to the Principal Act, in clause (d), the following proviso has been inserted: —*"Provided that for the person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community in Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, the aggregate period of residence or service of Government in India as required under this clause shall be read as "not less than five years" in place of "not less than eleven years"*.

- 4.** Apart from the above, amendments have also been carried out in Section 7D (pertaining to OCI) and in Section 18 (Power to make Rules).

Amendment in The Citizenship Rules, 2009

Pursuant to the CAA, 2019, The Citizenship Rules, 2009 has been amended by the Central Government in exercise of powers conferred under Section 18 of the Citizenship Act, 1955. The amendment has been carried out inter-alia to provide for relevant rules, procedure and forms enabling the applicants covered under the proviso to clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 read with section 6B of The Citizenship Act, 1955.

Grant of Indian Citizenship under Section 6B of The Citizenship Act, 1955

Process for making application under Section 6B

1. Where to apply?

The application from the person covered under the CAA will have to be made under section 6B of the Citizenship Act, 1955. This application is available online at <https://indiancitizenshiponline.nic.in> and mobile application namely **CAA-2019**.

2. Who can apply?

Persons belonging to Hindu or Sikh or Buddhist or Jain or Parsi or Christian community from Afghanistan or Bangladesh or Pakistan, and –

- i. who entered India on or before 31.12.2014; and
- ii. who has been exempted by or under section 3(2)(c) of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder.

3. Forms

By answering simple questionnaire, the online system will prompt the applicant to the form as per his/ her eligibility as indicated below :-

SNo.	Form Number	Relevant Section of The Citizenship Act, 1955	Category of persons eligible
1	IIA	Section 5(1)(a)	A person of Indian origin, for registration as a citizen of India
2	IIIA	Section 5(1)(c)	A person who is married to a citizen of India, for registration as a citizen of India
3	IVA	Section 5(1)(d)	A person who is a minor child of a person who is a citizen of India, for registration as a citizen of India
4	VA	Section 5(1)(e)	A person whose parents are registered as a citizen of India, for registration as a citizen of India
5	VIA	Section 5(1)(f)	A person who or either of the parents was a citizen of Independent India, for registration as a citizen of India

6	VIIA	Section 5(1)(g)	A person who is registered as an Overseas Citizen of India Cardholder, for registration as a citizen of India
7	VIIIA	Section 6(1)	For grant of citizenship by naturalisation

4. Fee/ Acknowledgement/Certificate

The applicant may fill up the relevant form, attach all requisite documents mentioned in the Form and make payment of fee of Rs. 50/- online. On submission of application, an acknowledgment will be auto-generated electronically which will be available to the applicant. At the application stage itself, the applicant may opt for receiving the ink signed copy of the certificate of registration or certificate of naturalization. Ink signed copy of the certificate will be issued to the applicant only if he/ she has opted for the same at the application stage.

5. Application Submission Process

- i. For submitting the application under Section 6B, the applicant needs to visit website <https://indiancitizenshiponline.nic.in/> or mobile application CAA, 2019.
- ii. Application is filed online. However, for administration of OATH and document check, the applicant will have to visit the district level Designated Officer (DO) at a date and time that he will be informed by email/sms.
- iii. After the applicant has submitted the form online, the form will be scrutinised by the District Level Committee (DLC). Post scrutinization of form, the DLC will intimate to the applicant through e-mail/SMS the date and time on which the applicant would be expected to visit the DLC in person along with originals of all the documents attached with the application for verification.
- iv. At the district level, there shall be a District Level Committee which shall be headed by the jurisdictional Senior Superintendent or Superintendent of Post who shall be the Designated Officer and shall consist of the following as members, namely:-

- (a) District Informatics Officer or District Informatics Assistant of the District concerned; and
- (b) nominee of the Central Government;

In addition, the following officers shall be invitees of the District Level Committee, namely: -

- (a) A representative not below the rank of Naib Tehsildar or equivalent from the Office of District Collector; and
- (b) jurisdictional Station Master of Railways (subject to availability).

- v. After receiving e-mail/SMS, the applicant may visit the office of the Designated Officer (DO) along with originals of all the documents attached with the application.
- vi. The DLC will check/ verify the documents. If the documents are found in order, the Designated Officer will administer "Oath of Allegiance" to the applicant who has applied for grant of Citizenship by Registration (Section 5) or by Naturalisation (Section 6) under Section 6B.
- vii. If there is any deficiency in documents, the applicant will be asked to provide the same. In case applicant fails to appear in person to subscribe the application and take oath of allegiance despite giving reasonable opportunities, the DLC may forward such application to EC for consideration of refusal.
- viii. The applicant can bring the required documents on subsequent date for verification. "Oath of Allegiance" in case of applications for Citizenship by Registration or by Naturalisation will be

administered only after it is confirmed that all requisite documents have been submitted by the applicant.

6. Citizenship Certificate Issuance Process

- i. The certificate will be issued digitally online.
- ii. The applicant who has applied for grant of citizenship by registration or naturalisation will be issued a digital certificate (default option).
- iii. Ink signed copy of the certificate of registration or naturalisation will be issued only if the applicant has opted for the same at the application stage and this will have to be collected by the applicant from the office of the Empowered Committee i.e., the office of the Director (Census Operations) of the State/ Union Territory concerned located in the State/ UT capital.
- iv. The Empowered Committee is headed by the Director, Census Operations (DCO) of the State/Union Territory. Other Members of Empowered Committee are:
 - a) An officer not below the rank of Deputy Secretary, Government of India in the Subordinate Intelligence Bureau (SIB);
 - b) The concerned Foreigner Regional Registration Officer (FRRO);
 - c) State Informatics Officer (SIO) of the National Informatics Centre (NIC) of the State/UT; and
 - d) Post Master General (PMG) of the State or Union Territory or a postal officer not below the rank of Deputy Secretary, Government of India nominated by the PMG.

In addition, the following officers shall be invitees of the Empowered Committee:-

- (a) A representative from the office of Principal Secretary (Home) or Additional Chief Secretary (Home) of the State Government or Union Territory concerned; and
- (b) a representative of jurisdictional DRM (Divisional Railway Manager) of Railways.

7. Date from which the Citizenship granted will be effective

Persons granted citizenship by registration or naturalisation under section 6B of the Citizenship Act, 1955 shall be deemed to be a citizen of India from the date of his/ her entry into India.

8. Documents required for applying under section 6B of the Citizenship Act are: -

- a. A copy of any one of the following documents to prove that the applicant is a national of Afghanistan or Bangladesh or Pakistan: -
 - i. Copy of the passport issued by the Government of Afghanistan or Bangladesh or Pakistan
 - ii. Registration Certificate or Residential Permit issued by the Foreigners Regional Registration Officer (FRRO) or Foreigners Registration Officer (FRO) in India
 - iii. Birth certificate issued by a Government authority in Afghanistan or Bangladesh or Pakistan
 - iv. School certificate or Educational certificate issued by the School or College or Board or University authorities in Afghanistan, Bangladesh or Pakistan
 - v. Identity Document of any kind issued by Government of Afghanistan or Bangladesh or Pakistan or any other Government authorities or Government agencies in these countries
 - vi. Any License or Certificate issued by a Government authority of Afghanistan, Bangladesh or Pakistan
 - vii. Land or tenancy records in Afghanistan or Bangladesh or Pakistan

- viii. Any document that shows that either of the parents or grandparents or great grandparents of the applicant is or had been a citizen of one of the three countries i.e., Afghanistan or Bangladesh or Pakistan
- ix. Any other document issued by a Government authority or a Government agency in Afghanistan or Bangladesh or Pakistan which will establish that the applicant is from Afghanistan or Bangladesh or Pakistan

Note: The above documents will be admissible even beyond their validity period.

- b. A copy of any one of the following documents to prove that the applicant has entered India on or before 31.12.2014
 - i. Copy of the visa and immigration stamp on arrival in India
 - ii. Registration Certificate or Residential Permit issued by the Foreigners Regional Registration Officer (FRRO) or Foreigners Registration Officer (FRO) in India
 - iii. Slip issued by the Census Enumerators in India to such persons while conducting census related survey
 - iv. Government issued license or certificate or permit in India (including Driving License, Aadhaar Card etc.)
 - v. Ration Card of the applicant issued in India
 - vi. Any letter issued by the Government or Court to the applicant with official stamp
 - vii. Birth certificate of the applicant issued in India
 - viii. Land or tenancy records or registered rental agreement in India in the name of the applicant
 - ix. PAN Card issuance document bearing the date of issuance
 - x. Any other document issued by the Central Government or State Government or any Public Sector Undertakings of Central Government or State Government or any financial institutions like Banks or any other Public Authority
 - xi. Certificate issued by an elected member of any rural or urban body or officer thereof or a revenue officer
 - xii. Record and account details relating to and issued by the Banks (including Private Banks) or Post Office accounts in the name of the applicant
 - xiii. Insurance policies issued by the Insurance companies in India in the name of the applicant
 - xiv. Electricity connection papers or Electricity Bills or other Utility Bills in the name of the applicant
 - xv. Court or Tribunal Records or Processes in India in respect of the applicant
 - xvi. Document showing service or employment under any employer in India supported by Employees Provident Fund (EPF)/ General Provident Fund/ Pension/ Employees' State Insurance Corporation (ESIC) documents
 - xvii. School leaving certificate of the applicant issued in India
 - xviii. Academic certificate issued by a school or college or a board or a University or a government institution
 - xix. Municipality trade license issued to the applicant
 - xx. Marriage Certificate

Note: (i) The above documents should have been issued by an Indian Authority and will be admissible even beyond their validity period

(ii) The documents should establish that the applicant had entered India on or before 31.12.2014

- c. The applicant would be required to file an Affidavit in the prescribed format (Refer Rule10A and ScheduleIC of The Citizenship Rules, 2009) to be sworn before and attested by a Judicial Magistrate or an Executive Magistrate or an Oath Commissioner or a Notary Public [To be executed on non-judicial stamp paper of rupees Ten].

d. A copy of the valid or expired Foreign Passport, if available

e. A copy of the valid or expired Residential Permit, if available

In addition, following documents are required to be submitted depending on the categories under which the application is being submitted: -

SNo.	Category	Relevant Section of The Citizenship Act, 1955	Additional documents to be submitted
1	A person of Indian origin applying for registration as citizen of India in Form IIA	Section 5(1)(a)	Evidence of the date of birth of the parents viz. a copy of the passport or birth certificate. In case of non-availability of passport of mother/ father, birth certificate of the applicant clearly indicating the name, address, and nationality of mother/ father
2	A person who is married to a citizen of India, applying for registration as a citizen of India in Form IIIA	Section 5(1)(c)	(i) Evidence of his/her husband's/wife's Indian nationality viz. copy of Indian passport or birth certificate. (ii) A copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage.
3	A person who is a minor child of a person who is a citizen of India, applying for registration as a citizen of India in Form IVA	Section 5(1)(d)	(i) Proof of Indian citizenship of both the parents viz. copy of Indian passport/birth certificate. (ii) In case of guardian, enclose proof of guardianship
4	A person whose parents are registered as a citizen of India, applying for registration as a citizen of India in Form VA	Section 5(1)(e)	Copies of Indian Citizenship Certificates issued under Section 5(1)(a) or 6(1) of the Citizenship Act, 1955 of both the parents.
5	A person who or either of the parents was a citizen of Independent India, applying for registration as a citizen of India in Form VIA	Section 5(1)(f)	Evidence that the applicant or either of his parents was a citizen of Independent India viz. copy of passport or birth certificate.
6	A person who is registered as an Overseas Citizen of India Cardholder, applying for registration as a citizen of India in Form VIIA	Section 5(1)(g)	A copy of the certificate of registration as Overseas Citizen of India Cardholder under section 7A of the Citizenship Act, 1955
7	A person applying for grant of citizenship by naturalisation	Section 6(1)	One affidavit from self (applicant) and one affidavit from an Indian national testifying to the character of the applicant in the prescribed language available in the application form.

